

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

In

Original Application No. 275 of 2023

MAHESH KUMAR

.....Applicant

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

.....Respondent(s)

INDEX

<u>S.NO</u>	<u>PARTICULARS</u>	<u>PAGE NO.</u>
	STATUS REPORT ON BEHALF OF EXECUTIVE ENGINEER, HEAD WORKS DIVISION AGRA CANAL, OKHLA, NEW DELHI ALONG WITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT.	2-6
1.	<u>ANNEXURE-1.</u> Copy of the Government Order No. 685/2024/45 NGT/2024-27-Sin-4-11 Writ NGT dated 21.12.2024.	7-11

THROUGH

Priyanka Swami

Date:27.02.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
STANDING COUNSEL FOR UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

In

Original Application No. 275 of 2023

MAHESH KUMAR

.....Applicant

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

.....Respondent(s)

**STATUS REPORT ON BEHALF OF EXECUTIVE ENGINEER, HEAD
WORKS DIVISION AGRA CANAL, OKHLA, NEW DELHI ALONG WITH
THE SUPPORTING AFFIDAVIT.**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. In compliance with the directions of the Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench, New Delhi, in Original Application No. 275/2023, it is submitted that the Executive Engineer, Irrigation Department, State of Uttar Pradesh, has reported completion of the demarcation of the floodplain zone of River Yamuna in Gautam Buddha Nagar.
2. It is humbly submitted that the undersigned has duly complied with previous orders in related matters—namely OA No. 673/2018 (Jacob Kosi vs. Union of India and others, since disposed) and OA No.

316/2022 (Dr. Sharad Gupta vs. State of Uttar Pradesh)—whereby the Central Water Commission (CWC), acting under the directive of the Hon'ble Tribunal, determined the respective floodplain zones of the Yamuna River. In light of such determination, the Government of Uttar Pradesh has been pleased to issue a Gazette Notification (Government Order No. 685/2024/45 NGT/2024-27-Sin-4-11 Writ NGT dated 21.12.2024), wherein the boundaries and co-ordinates for the demarcation of the Yamuna floodplain have been formally codified. A copy of the said Government Order is annexed herein as ANNEXURE-1.

3. That pursuant to the above, the Irrigation Department has taken up the task of installing boundary pillars within the identified areas of Ghaziabad and Gautam Buddha Nagar districts. This has been done in strict conformity with the geographical co-ordinates and supporting data provided by the Gazette Notification and verified by the Central Water Commission through ground-truth verification. The demarcation and marking of the floodplain zone of Yamuna River in Ghaziabad district have been completed, and action is being taken for the issuance of notification.
4. It may also be brought to the kind attention of the Hon'ble Tribunal that the identification and demarcation of the flood area of the Hindon River in Ghaziabad and Gautam Buddha Nagar districts are being carried out by the Irrigation Construction Division, Ghaziabad.

5. The undersigned respectfully submits that every endeavor is being made to adhere to the directions issued by the Hon'ble NGT and to fulfill the statutory and administrative obligations associated with effective floodplain management. The Irrigation Department remains committed to ensuring timely completion of these tasks and keeping the Hon'ble Tribunal informed of further developments.

6. In these premises, it is most humbly prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to take the instant compliance report on record and pass such further or other orders as may be deemed just and proper in the facts and circumstances of the case.

THROUGH



Date:27.02.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
STANDING COUNSEL FOR UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

825

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

In

Original Application No. 275 of 2023

MAHESH KUMAR

.....Applicant

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

.....Respondent(s)

AFFIDAVIT

I, **Binod Kumar Singh** aged about 46 years s/o Shri **Hiraman Singh** is presently posted as **Executive Engineer, Head Works Division Agra Canal, Okhla, New Delhi** having an office at **Okhla, New Delhi**.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying Report has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying Report are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.



28 FEB 2025


DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at New Delhi, on this 28 FEB 2025 2025,
that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my
knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed
therefrom.


DEPONENT




ATTESTED

Notary Public, Delhi

28 FEB 2025

प्रेषक,

डॉ० अरविन्द कुमार चौरसिया,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ०प्र० शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ०प्र० शासन।

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ०प्र०,शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०,लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 21 दिसम्बर, 2024

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-673/2018 जैकब कोसी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य (निस्तारित) एवं ओ०ए० सं०-316/2022 डा.शरद गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रियान्वयन के क्रम में यमुना नदी के फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या- 673/2018 जैकब कोसी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य (निस्तारित) एवं ओ०ए० सं०-316/2022 डा.शरद गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 एवं मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० के पत्र दिनांक 11-12-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यमुना नदी के क्रिटीकल रीच 'असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध कराया गया है।

2- मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में ओ०ए० संख्या-673/2018 में यमुना नदी के क्रिटीकल रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हांकन के निर्देश दिये गये हैं। पुनः ओ०ए० संख्या-316/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2024 के अन्तर्गत यमुना नदी के क्रिटीकल रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हांकन की रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली को दिनांक 30.11.2024 तक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में प्रस्तुत करते हुए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, को दिनांक 21.12.2024 तक गजट नोटिफिकेशन जारी करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

3. तत्क्रम में केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा यमुना नदी के रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) दिनांक 21.11.2024 को ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराये गये एवं पुनः दिनांक 30.11.2024 को अन्तिम रिपोर्ट (Latitude & Longitude) के साथ उपलब्ध करायी गयी है जिसके अनुसार "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के मध्य पड़ने वाले जनपदों में खण्डों द्वारा ग्राउन्ड ट्रूथ वेरीफिकेशन दिनांक 05.12.2024 तक पूर्ण करा लिया गया है। यमुना नदी के रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) एवं आलेख, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालनार्थ फ्लड प्लेन जोन के गजट नोटिफिकेशन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

4. उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ओ०ए० सं०-673/2018 (निस्तारित) एवं ओ०ए० सं०-316/2022 में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 के प्रस्तर- 5,17 एवं 32 में निम्न निर्देश दिये गये हैं:-

" 5- **II. Department of Irrigation**

Demarcation of the Flood Plain Zone in GIS format including the geo-coordinates or locations of marking pillars.

III. Other concerned departments of the State Government (District Administration, Mines Departments) Details of any other activities outside forest land, as complainant; such as earth cutting resulting in soil erosion/changing land use pattern.

17. Another reply/updated report was filed by District Magistrate, Agra vide email dated 17.11.2023 stating that for demarcation, 1,020 pillars have been installed after total station survey with the help of Differential Global Positioning System (hereinafter referred to as "DGPS"). It is further said that Central Water Commission (hereinafter referred to as "CWC") 13 vide office memorandum dated 05.09.2023 has constituted a "Committee for Flood Plain Zoning of river Yamuna" for the stretches:

(i) From Asgerpur to Itawah

(ii) From Shahpur to Prayagraj.

32. It means that in case report is submitted by 30.11.2024, requisite notification by State of UP shall be issued by 21.12.2024

5. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-673/2018 (निस्तारित) एवं ओ०ए० सं०-316/2022 में पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा यमुना नदी के रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) उपलब्ध कराये गये हैं।

6. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्तावानुसार केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये 100 वर्ष में एक बार बाढ़ की प्रत्याशा में यमुना नदी के रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के

Coordinates (Latitude & Longitude) के आधार पर प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखित जनपदों में फ्लड प्लेन जोन अधिसूचित किया जाना है:-

क्रमांक	जनपद	लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड
1.	गौतमबुद्ध नगर	संलग्नक-1
2.	अलीगढ़	संलग्नक-2
3.	मथुरा	संलग्नक-3
4.	हाथरस	संलग्नक-4
5.	आगरा	संलग्नक-5
6.	फिरोजाबाद	संलग्नक-6
7.	इटावा	संलग्नक-7
8.	जालौन	संलग्नक-8
9.	औरैया	संलग्नक-9
10.	कानपुर देहात	संलग्नक-10
11.	हमीरपुर	संलग्नक-11
12.	कानपुर	संलग्नक-12
13.	फतेहपुर	संलग्नक-13
14.	बाँदा	संलग्नक-14
15.	चित्रकूट	संलग्नक-15
16.	कौशाम्बी	संलग्नक-16
17.	प्रयागराज	संलग्नक-17

7- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ०ए० संख्या- 673/2018 जैकब कोसी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य (निस्तारित) एवं ओ०ए० सं०-316/2022 डा.शरद गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 के अनुपालन में यमुना नदी के क्रिटीकल रीच 'असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज' तक 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के

आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु जनपद गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, कानपुर, फतेहपुर, बाँदा, चित्रकूट, कौशाम्बी एवं प्रयागराज में फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude)(प्रति संलग्न) के आधार पर फ्लड प्लेन जोन निर्धारित किया जाता है। इस सम्बन्ध में एन.एम.सी.जी, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं विभिन्न मा० न्यायालयों द्वारा समय समय पर पारित दिशा-निर्देश एवं आदेश प्रभावी होंगे।

8. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
संलग्न-यथोक्त

भवदीय,
डॉ० अरविन्द कुमार चौरसिया
विशेष सचिव।

पृष्ठांक संख्या-685/2024/45एन०जी०टी० (1)/2024-27-सि०-4-11(रिट)(एन०जी०टी०)/2019, दिनांक 21 दिसम्बर, 2024
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, 30प्र० शासन।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 30प्र० शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, 30प्र० शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, 30प्र० शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, 30प्र० शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, 30प्र० आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र०, प्रमुख अभियन्ता(परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र० एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र० लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, 30प्र०।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, 30प्र०।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, 30प्र०।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, 30प्र०।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, 30प्र०।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, 30प्र०।
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 30प्र०।

17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्त प्रस्तर-7 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अमित प्रणव
संयुक्त सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>